p>

Title: Need for immediate recovery of amount of insurance charged by DICGC from the liquidated Cooperative Banks.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला उठा रही हूं। डी.आई.सी.जी.सी. (डिपाजिट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन) यह एक प्रकार की प्रमोटिड बाई आर.बी.आई. इंश्योरेंस कंपनी है। यह कंपनी बैंक के जो एक लाख रुपए तक के डिपाजिटर्स होते हैं, उन्हें प्रोटैक्ट करने की दÂिष्ट से बैंक से प्रीमियम लेती रहती है। इंदौर में एक महाराÂट्र संघ ब्राह्मण सहकारी बैंक है। यह महाराÂष्ट्र संघ ब्राह्मण सहकारी बैंक एन.पी.ए. बढ़ने के कारण वर्ष 2004 में बंद हो गया । वर्ष 2005 में वहां लिक्विडेटर अपाइंट हुआ। चूंकि बैंक ने रेगुलरली प्रीमियम के पैसे भरे हुए थे, इसलिए लिक्विडेटर अपाइंट होने के बाद लिक्विडेटर ने तुंत करीब-करीब एक लाख रुपये तक डिपाजिटर्स को देने की दÂिष्ट से 41 करोड़ का अपना क्लेम डी.आई.सी.जी.सी. को पेश किया। डी.आई.सी.जी.सी. ने उन्हें करीब 28.6 करोड़ रुपया दिया और यह कहा कि बाकी का पैसा 8.72 करोड़ रुपया आप उसमें मिला देना। यह पैसा देने के बाद बहुत से डिपाजिटर्स का एक लाख रुपये तक पैसा वापस किया गया। इसके बाद लिक्विडेटर ने आज तक अपने स्तर पर लोन रिकवरी की, जो करीब 14 करोड़ रुपए हो गई है। अब वास्तव में इस पर अधिकार जो बनता है, वह डिपाजिटर्स का बनता है। जो बाकी डिपाजिटर्स बचे हुए हैं, उनमें किसी के डेढ़ लाख, तीन लाख, पांच लाख रुपये हैं। ये सभी पेंशनर्स हैं, और सभी इस प्रकार के लोग हैं जो बैंक के इंटरैस्ट पर जीवनयापन कर रहे हैं। इसमें किसी का पूरी पेंशन का पैसा रखा हुआ है। लेकिन अब इन्हें समस्या आ रही है कि ये 14 करोड़ रुपये वास्तव में जो बचे हुए डिपाजिटर्स को देने चाहिए, लेकिन यहां डी.आई.सी.जी.सी. ने उस पर बंधन लगा दिया, इन्हें स्टाप कर दिया कि पहला क्लेम हमारा बनता है, हमारा इतना करोड़ रुपया वापस दे दो, जबकि मेरा कहना यह है कि वास्तव में इस प्रकार का फर्स्ट क्लेम डिपाजिटर्स का होता है, इंश्योरेन्स कंपनी का नहीं होता है।

इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से इतना कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और आर.बी.आई. के थ्रू इस कंपनी को इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दे कि उनका पहला क्लेम नहीं, उनका आखिरी क्लेम बनेगा। अभी जो पैसा वसूल हुआ है, वह डिपाजिटर्स को ही देना चाहिए, वह उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं समझती हूं कि सरकार को इस प्रकार से उन लोगों की तुंत मदद करनी चाहिए।